



दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे  
South East Central Railway



मुख्यालय कार्मिक विभाग, प्रथम तल, महाप्रबंधक कार्यालय, बिलासपुर (छ. ग.) 495004  
HEAD QUARTER PERSONNEL DEPARTMENT, 1<sup>st</sup> FLOOR, GM's OFFICE, BILASPUR (C.G.) 495004  
सं. पी-एचक्यू/रुलिंग/पे & अलावनसेस/ 38/8490 दिनांक:-24.12.2018

प्रति,  
सर्व संबंधित

स्थापना नियम सं.-362/2018

**विषय:-Controlling Officers for the purpose of Travelling Allowance.**

रेल्वे बोर्ड के पत्र सं. F(E)I/2018/AL-28/73 दिनांक 14.12.2018, RBE No. 194/2018 की प्रति सूचना, मार्गदर्शन तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकाशित की जा रही है।

उपरोक्त नियम दफ्तरे की अधिकारिक वेब-साइट <http://www.secr.indianrailways.gov.in> एवं CPO के share folder (10.206.2.18) पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं:-


**Web-site-**

Home page—About us—Department—Personnel—Estt. Rules.

**Share Folder-**

Home page—html—Estt. Rules

संलग्न:- यथोक्त. (4 पृष्ठ)

  
(एम बाबू अब्दुल कादिर)  
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी (एच.क्यू.)  
कृते प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी

E/R No. 362/2018  
P/1

Government of India  
Ministry of Railways  
(Railway Board)

RBE No.194/2008

71

No.F(E)I/2018/AL-28/73

New Delhi, dt. 14.12.2018

✓ The General Managers (P)/CAOs, *South East Central Railway,*  
All Indian Railways/PUs *Bilaspur.*  
(As per Mailing list)

Sub: Controlling Officers for the purpose of Travelling Allowance.

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President is pleased to direct that Rule 1697 of Indian Railway Establishment Code, Vol.II, Sixth Edition-1987 (Second Reprint, 2005) may be amended as in the enclosed Advance Correction Slip No. 62.

*B.K.S.*

(Jitendra Kumar)  
Dy. Director Finance (Estt.)  
Railway Board

No.F(E)I/2018/AL-28/73

New Delhi, dt. 14.12.2018

Copy to Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), Room No.222, Rail Bhavan, New Delhi (40 spares).

*B.K.S.*

for Financial Commissioner/Railways.

No.F(E)I/2018/AL-28/73

New Delhi, dt. 14.12.2018

Copy forwarded to FA&CAO, All Indian Railways, Production Units etc.

*B.K.S.*

(Jitendra Kumar)  
Dy. Director Finance (Estt.)  
Railway Board

contd/....

362/2018  
P/2

भारत सरकार  
रेल मंत्रालय  
(रेलवे बोर्ड)

आरबीई सं. 194/2018

सं. एफ(ई)/2018/एएल-28/73

नई दिल्ली, दिनांक 14.12.2018

महाप्रबंधक (कार्मिक)/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,  
सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां,  
(डाक सूची के अनुसार)

विषय: यात्रा भत्ता के प्रयोजन के लिए नियंत्रण अधिकारी.

संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्वारा निर्देश देते हैं कि भारतीय रेल स्थापना संहिता, जिल्द- II, छठा संस्करण-1987 (द्वितीय पुनर्मुद्रण, 2005) के नियम 1697 में संलग्न अग्रिम शुद्धि पर्ची सं.- 62 के अनुसार संशोधन किया जाए.



(जितेन्द्र कुमार)  
उप निदेशक वित्त (स्थापना)  
रेलवे बोर्ड

सं. एफ(ई)/2018/एएल-28/73

नई दिल्ली, दिनांक 14.12.2018

प्रतिलिपि भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें), कमरा सं. 222, रेल भवन, नई दिल्ली को (40 अतिरिक्त प्रतियों सहित) प्रेषित.



कृते वित्त आयुक्त/रेलें

सं. एफ(ई)/2018/एएल-28/73

नई दिल्ली, दिनांक 14.12.2018

प्रतिलिपि प्रेषित: वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सभी भारतीय रेलें, उत्पादन इकाइयां



(जितेन्द्र कुमार)  
उप निदेशक वित्त (स्थापना)  
रेलवे बोर्ड

ADVANCE CORRECTION SLIP NO. - 62  
IREC Vol. II (SECOND REPRINT, 2005)

362/18  
1/3

Rule 1697 of IREC Vol.II (Second Reprint, 2005) may be read as under:

“General Managers / Divisional Railway Managers and Heads of the Departments shall be their own Controlling Officers. All Officers holding substantive post of Senior Scale (Level-11 in 7<sup>th</sup> CPC Pay Matrix / PB-3 + Grade Pay Rs.6600/-, pre-revised) shall be their own Controlling Officers for countersignature on TA journals. A Head of Department may declare what authorities subordinate to him shall be the Controlling Officers, for the purpose of travelling allowance of railway servants or classes of railway servants employed under him. No authority shall be declared by him to be his own Controlling Officer without the previous sanction of the Ministry of Railways.”

364/18

P/4

अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 62

भारतीय रेल स्थापना संहिता जिल्द- II (द्वितीय पुनर्मुद्रण, 2005)

भारतीय रेल स्थापना संहिता जिल्द- II (द्वितीय पुनर्मुद्रण, 2005) का नियम 1697 निम्नानुसार पढ़ा जाए:

“महाप्रबंधक/मंडल रेल प्रबंधक एवं विभागाध्यक्ष अपने स्वयं के नियंत्रण अधिकारी होंगे। वरिष्ठ वेतनमान (7वें केंद्रीय वेतन आयोग पे मैट्रिक्स में लेवल-11/पीबी-3 + ग्रेड पे 6600/-रु., पूर्व संशोधित) के मूल पद वाले सभी अधिकारी यात्रा भत्ता जर्नल पर प्रतिहस्ताक्षर करने के लिए स्वयं अपने नियंत्रक अधिकारी होंगे। विभागाध्यक्ष यह घोषित करेगा कि उसके अधीन नियोजित रेल सेवकों या रेल सेवकों के वर्गों के यात्रा भत्ते के प्रयोजन के लिए कौन प्राधिकारी नियंत्रक अधिकारी है। वह किसी भी प्राधिकारी को रेल मंत्रालय की पूर्व मंजूरी के बिना स्वयं अपना ही नियंत्रक अधिकारी घोषित नहीं करेगा।”